उत्तर प्रदेश शासन

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-2

संख्या-2/429 जेड (2)/छः-2014-07 पी0पी0/2002

लखनऊः: दिनांक 02 सितम्बर, 2014

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

श्रीमती बड़ी बहू पत्नी स्व0 देवीदीन, जनपद-महोबा ने राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित पारिवारिक पेंशन के निमित्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका संख्या-25425/2011 श्रीमती बड़ी बहू बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य योजित की थी। इसमें मा0 न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 12-05-2014 को आदेश पारित किये गये, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः-

The writ petition is disposed of with the direction to respondent no. 1 to take appropriate decision on the petitioner's claim for sanction of family pension as dependent of freedom fighter Devideen. Such sction shall be taken by the State Government expeditiously preferably within a period of three months from the date of production of certified copy of this order.

With these directions, the writ petition is disposed of.

2- याची श्रीमती बड़ी बहू उपरोक्त ने उक्त रिट याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 12-05-2014 की सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए स्वयं को राज्य आश्रित पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने का अनुरोध अपने दिनांक रहित पत्र में किया है। उक्त पत्र शासन में दिनांक 22-05-2014 को प्राप्त हुआ था। याची श्रीमती बड़ी बहू ने अपने पत्र के साथ जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र दिनांक 21-10-1972 संलग्न किया है, जिसमें उनके पति श्री देवीदीन आत्मज श्री रंजीता ग्राम भण्डरा थाना श्रीनगर, जिला हमीरपुर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के फलस्वरूप दिनांक 12 नवम्बर, 1942 को गिरफ्तार होने और दिनांक 21 मई, 1943 को रिहा किये जाने का उल्लेख है।

3- "उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन नियमावली, 1975" की प्रस्तावना में यह उल्लेख किया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन योजना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लेने के फलस्वरूप कारावास का दण्ड या अन्य यातनाएं सही हों, को सम्मानित करने के उद्देश्य से बनायी गयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पेंशन की स्वीकृति सेनानी को आजीविका चलाने अथवा आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिये नहीं दी जाती है। **<u>इसका उद्देश्य सेनानी को मात्र सम्मानित करना है, इसलिये यह किसी सेनानी का कानूनी हक नहीं है कि उसे यह अनिवार्य रूप से प्रदान की जाय।</u>**

4- स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति सेनानी है परन्तु पेंशन नियमावली के अन्तर्गत पेंशन हेतु स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नियम 2-क- में परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि **"स्वतंत्रता संग्राम सेनानी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिशासी व्यक्ति से है जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो और जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो मास की अवधि के लिए कारावास का दण्ड भोगा गया हो, या जिसे नजरबन्दी या अण्डर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि के लिए रखा गया हो, या जिसने कम से कम 10 बेतों की सजा पायी हो या जो फरार घोषित किया गया हो या उक्त स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो, या जिसने वीरगति प्राप्त की हो।**

5- यह निर्विवाद है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन हेतु केवल उपर्युक्त उद्धत नियम-2 (क) की परिभाषा से आच्छादित सेनानी ही आते है शेष नहीं।

6- उक्त नियमावली के नियम 9 (ख) 1- में आवेदक को अपनी भोगी गई यातनाओं के समर्थन में संबंधित जेल अधीक्षक या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र मान्य माना गया है।

.....2

7- याची के प्रकरण में जिलाधिकारी, महोबा एवं हमीरपुर की आख्याएं प्राप्त की गयी। **<u>जिलाधिकारी, हमीरपुर के पत्र दिनांक 02-07-2014 के साथ याची श्रीमती बड़ी बहू के पति स्व0 देवीदीन आत्मज श्री रंजीता की सजायाबी (नजरबन्दी) से संबंधित पृष्ठ की श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी, हमीरपुर द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की गयी जिसमें अंकित है कि श्री देवीदीन आत्मज श्री रंजीता धीमर, ग्राम भण्डरा, थाना श्रीनगर की नजरबन्दी दिनांक 12-11-1942 को गिरफ्तार होकर दिनांक 21-05-43 को छोड़े जाने संबंधी टिप्पणी दर्ज है।</u>**

जिलाधिकारी, हमीरपुर के पत्र दिनांक 24-07-2014 के साथ याची श्रीमती बड़ी बहू के स्व0 पति देवीदीन की सजायाबी के संदर्भ में निर्गत प्रमाण पत्र दिनांक 21-10-1972 जो अपर जिला मैजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा सत्यापित किया गया है, में अंकित है कि-

प्रमाण पत्र संख्या-150

प्रमाणित किया जाता है कि श्री देवीदीन आत्मज श्री रंजीता, ग्राम-भण्डरा, थाना-श्रीनगर, जिला-हमीरपुर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के फलस्वरूप दिनांक 12 नवम्बर, 1942 को गिरफ्तार हुये थे और दिनांक 21 मई, 1943 को रिहा किये गये।

2- अत: वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे।

दिनांक अक्टूबर 21, 1972

हस्ताक्षर

(आ0 कु0 रस्तोगी)

जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।

8- जिलाधिकारी, महोबा के पत्र दिनांक 26-07-2014 में भी उक्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करते हुए याची श्रीमती बड़ी बहू को राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

9- जिलाधिकारी, हमीरपुर द्वारा **याची श्रीमती बड़ी बहू के स्व0 पति देवीदीन की सजायाबी/नजरबन्दी के संबंध में सत्यापित प्रमाण पत्र के आधार पर भोगी गयी सजा की कुल अवधि 05 माह 09 दिन होती है, जो "उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन नियमावली, 1975" के नियम 2-क में उल्लिखित सजायाबी अर्थात् 02 माह से अधिक है। इसके अतिरिक्त यदि नजरबन्दी को भी आधार माना जाय तो उक्त सजायाबी की अवधि 03 माह से अधिक है।**

10- जिलाधिकारी, हमीरपुर की आख्या दिनांक 24-07-2014 में श्री देवीदीन के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के फलस्वरूप दिनांक 12-11-1942 में गिरफ्तार होने और दिनांक 21-05-1943 को रिहा होने एवं जिलाधिकारी, महोबा की आख्या दिनांक 26-07-2014 में श्रीमती बड़ी बहू (याची) को राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने की संस्तुति एवं अभिलेखों के आलोक में प्रकरण का सम्यक् परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त "उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन नियमावली, 1975" के नियम 2-क में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत याची के पति श्री देवीदीन की सजायाबी की पुष्टि के फलस्वरूप उनकी पत्नी श्रीमती बड़ी बहू की राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित पारिवारिक पेंशन की पात्रता का स्थापित होना पाया गया।

11- मा0 उच्चतम न्यायालय का याचिका संख्या-133/92 श्री मुकुन्द लाल भण्डारी एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14-03-93 के अनुक्रम में गृह (सामान्य) अनुभाग'1 द्वारा निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1969 जेड/6-सा-1-2001-43जी0/88, दिनांक 15-09-2001 में की गयी व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य श्री राज्यपाल महोदय द्वारा याची श्रीमती बड़ी बहू को उनके द्वारा पेंशन हेतु प्रस्तुत किये गये दिनांक रहित प्रार्थना-पत्र के अनुभाग में प्राप्त होने की तिथि अर्थात् दिनांक 17-01-2002 से राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान की जाती है।

.....3

http://shasanadesh.up.nic.in

12- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष, 2014-2015 के आय व्ययक की अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के लेखा शीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-आयोजनेत्तर-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-107-स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना-03-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवा निवृत्ति हितलाभ" के नामे डाला जायेगा।

13- अत: रिट याचिका संख्या-25425/2011 श्रीमती बड़ी बहू बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 12-05-2014 को पारित आदेशों के अनुपालन में याची श्रीमती बड़ी बहू पत्नी स्व0 देवीदीन को राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करते हुए एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

ह/0
(संजीव दूबे)
प्रमुख सचिव

श्रीमती बड़ी बहू,
पत्नी स्व0 देवीदीन,
निवासी ग्राम-भण्डरा,
तहसील व जिला-महोबा।

<u>संख्या-429(1) जेड (2)/छ:-2014, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (पी0आर0-3 सेक्शन), इलाहाबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
(2) निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इंदिरा भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त श्रीमती बड़ी बहू पत्नी स्व0 देवीदीन निवासी ग्राम भण्डरा, तहसील व जिला महोबा को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित पारिवारिक पेंशन के भुगतान के संबंध में प्राधिकार पत्र जारी करने तथा इसकी एक प्रति शासन को भी पृष्ठांकित करने का कष्ट करें।
(3) जिलाधिकारी, महोबा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया याची श्रीमती बड़ी बहू उपरोक्त की विवरणात्मक पंजी तथा परिचय पत्र आदि तैयार करवाकर निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इंदिरा भवन, लखनऊ को शीघ्रातिशीघ्र भेजने का कष्ट करें। पेंशन का भुगतान प्राधिकार पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जाय।
(4) जिलाधिकारी, हमीरपुर ।
(5) वरिष्ठ कोषाधिकारी, महोबा ।
(6) रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
(8) राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1
(9) निदेशक/सचिव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ ।
(10) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह/0
(स्वामी नाथ पाण्डेय)
उप सचिव

http://Gyansadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in